



मरणेत जयते

सी० सं० ४० (३४) /निबन्धन/ **दिनांक १२७६** के० सू० शा० १९८४

दिनांक २०-१-९४

भारत सरकार

(वित्त-मंत्रालय)

**कार्यालय आयकर आयुक्त
भैंसाली ग्राउण्ड, मेरठ।**

विषय :- आयकर अधिनियम १९६१ की धारा १२-क में निबन्धन हेतु

न्यास/संस्था का नाम एवं पता **किंविष्टि प्रेस सेवा निवास**,
बनामकन, अग्रिमीनगर, सप्तशतीपुर, पौ० साधुबाला, उत्तराखण्ड
दिनांक **१२७-१-९४** को न्यास/संस्था ज्ञापन द्वारा गठित उपर्युक्त न्यास/संस्था ने
आयकर अधिनियम १९६१ की धारा १२-क के अन्तर्गत निर्धारित फार्म में पंजीकरण हेतु आवेदन
निर्धारित समय के भीतर दिया है। इसलिए निबन्धन आयकर अधिनियम १९६१ की धारा १२-क
के अन्तर्गत स्वीकृत किया जाता है।

आवेदन की प्रविष्टि कार्यालय में रखे गये धारा १२-क के आवेदन रजिस्टर में क्रम
संख्या **१११ दिनांक १२७६** पर की गई है।



निवास

(पा० ३००. ८८२८)

(**अमृत सिंह**)

(भरत नाम सिंह)

आयकर आयुक्त

मेरठ।

प्रतिलिपि प्रेषित :—

१. न्यास/संस्था **उपर्युक्त** को
कृपया यह बतायें कि न्यास/संस्था आयकरदाता की सूची में है ? यदि ऐसा है तो कृपया पूर्ण
विवरण के साथ स्थाई लेखा संख्या भी बतायें।
२. आयकर अधिकारी/सहायक आयकर आयुक्त, वार्ड/सर्किल **उपर्युक्त** को
इस आशय के साथ कि न्यास/संस्था से लेखा विवरण, सगठन के विलेख/स्मृति-फत्र की प्रति आदि
आवश्यक कार्रवाई के लिये संलग्न है।
३. आयकर उपायुक्त **कहरापूर** को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु।

कौटला अमृत २०-१-९४

आयकर अधिकारी (कौटला अमृत शास्त्रा) तात्परी
कृते-आयकर आयुक्त, मेरठ।